"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान. (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2004—श्रावण 1, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक एफ. ए. 3-25/2003/1/एक.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित मंत्री/राज्यमंत्री का त्यागपत्र दिनांक 6 जुलाई, 2004 के अपरान्ह से स्वीकार कर लिये हैं :—

1. श्री विक्रम उसेंडी, मंत्री
2. श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, राज्यमंत्री
3. श्री सत्यानंद राठिया, राज्यमंत्री

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

4. श्री महेश बघेल, राज्यमंत्री
5. श्री पूनम चन्द्राकर, राज्यमंत्री

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2004

क्रमांक 544/2004/1-8/स्था.—श्री रमेश कुमार शर्मा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 02-06-2004 से 11-06-2004 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 जून एवं 13 जून, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रमेश कुमार शर्मा को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2004

क्रमांक 546/2004/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 14-06-2004 से 18-06-2004 तक 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19 एवं 20 जून, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चक्रवर्ती को अवर सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2004

क्रमांक 550/2004/1-8/स्था.—श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 28-6-2004 से 16-7-2004 तक 19 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 18 जुलाई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. एस. बेले को, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश-अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाय. एस. बेले अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2004

क्रमांक 552/2004/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 25-6-2004 से 1-7-2004 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2004

क्रमांक 1262/775/2004/1/2/लीव.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति, बिलासपुर को दिनांक 2-6-2004 से 18-6-2004 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 19 एवं 20-6-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री एस. के. बेहार के अवकाश अवधि में सुश्री राजश्री पॉटर, डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति, बिलासपुर का चालू कार्य संपादित करेंगी.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक 1442/894/2004/1/2/लीव.—डॉ. एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, भा.प्र.से. (एम. टी. 1993) को दिनांक 11-6-2004 से 18-6-2004 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा साथ ही दिनांक 19 एवं 20-6-2004 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुब्बारेड्डी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2004

क्रमांक 1482/899/2004/1/2/लीव.—श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994) को दिनांक 26-6-2004 से 30-6-2004 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 25-6-2004 की रात्रि से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री विकास शील के अवकाश अवधि में श्री सोनमणि वोरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विकास शील, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री विकास शील, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास शील, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2004

क्रमांक ई-1/8/2004/1/2.—श्री एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. (1979) को दिनांक 23-6-2004 से 13-9-2004 तक (83 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 1566/891/2004/1/2/लीव.—श्री जी. एस. धनन्जय, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को दिनांक 28-6-2004 से 16-7-2004 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 27 जून, 2004 एवं 17, 18 जुलाई, 2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. धनन्जय, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जी. एस. धनन्जय, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एस. धनन्जय, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2004

क्रमांक 1574/803/2004/1/2/लीव.—श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से., आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को दिनांक 24-4-2004 से 7-6-2004 तक (45 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2004

क्रमांक 1581/970/2004/1/2/लीव.—श्री आर. डी. मीना, भा.प्र.से., आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 23-6-2004 से 26-6-2004 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27-6-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. डी. मीना, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. डी. मीना, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. डी. मीना, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. वाजपेयी, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2004

क्रमांक एफ-2-27/दो-गृह/रापुसे/2001.—राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी एस.ओ.पी. क्रमांक 26/2002 दिनांक 4-6-2002 में आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है :—

1. एस.ओ.पी. 26/2002 के पैरा 6 (6) (1) के नीचे पैरा 6 (6) (1-ए) "उपरोक्त के अतिरिक्त विधि स्नातक उम्मीदवारों को 5 अंक बोनस के रूप में दिये जावेंगे, जो पैरा 6 (6) (1) में उल्लेखित बोनस अंकों के अतिरिक्त होंगे".

2. "इसी प्रकार एस.ओ.पी. 26/2002 के पृष्ठ-9 के पैरा 7 (1) के अंश चयन सूची कुल पूर्णांक 160 के स्थान पर 165 तथा बोनस अंक 35 के स्थान पर 40 अंक पढ़ा जाय".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2004

क्रमांक एफ 2-27/दो-गृह/रापुसे/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 5-7-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th July 2004

No. F 2-27/2-Home/S.P.F./2001.—State Government hereby after partial modification in the previous S.O.P. No. 26/2002 dated 4-6-2002 add the following para :—

1. Below S.O.P. 26/2002, new para 6 (6) (1) "in addition law graduate candidates will be awarded 5 bonus marks specified in the para 6 (6) (1)".

2. "Similarly at page 9 para 7 (1) of S.O.P. 26/2002, part list maximum marks 160 will be read as 165 and bonus marks
35 will be read as 40".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. K. AGRAWAL, Joint Secretary.

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2004

क्रमांक एफ-4/81/गृह (सी)/2001.—चूंकि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्वों के साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रयास डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाने की संभावना है.

और चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट कोरिया की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, कोरिया को उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 1 जुलाई, 2004 से 30 सितम्बर, 2004 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

Raipur, the 30th June 2004

No. F-4/81/Home (C)/2001.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of the State.

AND WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of Jurisdiction of the District Magistrate, Korea the State Government is satisfied that it is necessary to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by the provision to sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Korea may during the period from 1st July 2004 to 30th September 2004, if satisfied as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the power conferred by sub-section (2) of the said section 3.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मंडावी, उप सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2004

क्रमांक 3128/डी-1183/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 186 I 8-6/2001/गोपनीय/2004 दिनांक 17-5-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री बुद्धराम निकुंज, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय की सेवायें आदिमजाति एवं जनजाति विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 3958/डी-1183/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 215/II 2 17/2001/गोप./04, दिनांक 26-6-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री इन्दर सिंह उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, रायपुर की सेवायें विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग., रायपुर से वापस लेते हुए उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 3959/डी-1365/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 215/II 2 17/2001/गोप./2004, दिनांक 26-6-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री बुद्धराम निकुंज, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की सेवाएं वापस लेते हुये उन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर में अतिरिक्त सचिव, विधि के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

फा. क्र. 2999/675/21-ब (छ. ग.) 2004.—नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुये जिला महासमुंद के उप-तहसील पिथौरा में नोटरी के एक पद वृद्धि करती है.

रायपुर दिनांक 29 जून 2004

फा. क्र. 3985/1519/21-ब (दो)2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (2, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री खम्हनलाल कश्यप, अधिवक्ता कोरबा को दिनांक 28 6 2004 से दिनांक 31 3 2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए बिलासपुर सत्र खण्ड के कोरबा के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जून 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	टीला प. ह. नं. 4	0.283	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	खोरसी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 22 जून 2003

रा.प्र.क्र./31/अ-82/90-91.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता-पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	नवाबांध	0.233	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	श्याम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बावनलाखा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
749/2	0.10
753	0.12
762	0.02
749/1	0.08
757	0.16
755	0.14
752/1	0.10
756	0.18
758	0.05
योग	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेमेतरा-कोबिया-बेरला मार्ग के शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 153/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
902	0.05
903	0.06
936	0.06
914	0.07
917	0.03
918	0.03
931	0.07
932	0.08
933	0.06
934/1	0.06
942	0.04
941	0.02
946/2	0.16
946/1	0.05
980/1	0.07
959	0.20
योग 16	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 154/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डुंडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.50 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364/1	0.17
364/3	0.20
574/2	0.13
609/1	0.24
610	0.23
388	0.68
567	0.17
389	0.47
391	0.80
392	0.35
421	0.16
420/3	0.40
584	0.06
420/2	0.20
423/1	0.10
604	1.71
422	0.26
479	0.07
447	0.06
450	0.09
451/2	0.06
451/3	0.04
452	0.15
478	0.20
513	0.31
480	0.48
481	0.15
482	0.18
483	0.41
506	0.23
597	0.30
484	0.26
485	0.25
507	0.29
486	0.27
487	0.23
569	0.38
566	0.19
488	0.18
489	0.23
560	0.15
491	0.15
499	0.39
512	0.64
511	0.30
515	0.12
501	0.23
509	0.29
508	0.63
574/1	0.13
598	0.29
510	0.26
514	0.12
568	0.62
572	0.10
570	0.13
603	0.40
571	0.24
573	1.04
575/1	0.10
575/2	0.37
576	0.83
577	0.40
580/1	0.32
580/2	0.41

	(1)	(2)
	580/3	0.41
	580/4	0.08
	599/1	0.28
	599/6	0.18
	599/2	0.28
	599/5	0.10
	599/3	0.27
	599/4	0.12
	600/1	1.11
	600/2	0.57
	601	0.46
	602	0.28
	605	0.25
	606	0.29
	607	0.18
	608	0.52
	609/2	0.20
	613	0.49
	623	3.35
	634/1	0.31
	634/2	0.12
	634/3	0.20
	635/1	0.15
	635/2	0.15
	635/3	0.15
योग	90	30.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 155/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-परसदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.50 हे.

	खसरा नम्बर (1)	रकवा (हेक्टेयर में) (2)
	892/1, 892/2	0.25
	893	0.36
	894	0.43
	895	1.33
	896	0.06
	917	1.07
	920	0.06
	921	0.62
	935	0.40
	936	0.30
	940	0.30
	938	0.08
	923	0.25
	924	0.28
	925	0.07
	926	0.07
	928	0.38
	929	0.28
	930	0.17
	942	0.14
	943	0.16
	892/2	0.30
	916	0.14
योग	24	7.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 250/अ-82/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-भरदाकला, प.ह.नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.51 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1261/1	0.10
1262	0.10
1261/3	0.20
1260	0.40
1258	0.15
1257	0.08
1255	0.30
1256	0.10
1254	0.05
1252	0.05
1114	0.06
1115	0.30
1118	0.20
1116	0.01
1117	0.20
1119	0.20
1121	0.01
1122	0.35
1123	0.23
1139	0.15
1135	0.10
1136/1	0.20
1138	0.01
1136/2	0.10
1137	0.20
1126	0.01
1129	0.27
1044	0.52
1042	0.28
1043	0.20
989	0.15
990	0.28
992	0.20
981	0.20
977/1	0.05
977/3	0.50
योग 36	6.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के भरदाकला माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 251/अ-82/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुनी, प.ह.नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.09 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1456/1	0.20

(1)	(2)
1455	0.15
1450/4	0.05
1450/3	0.35
1450/2	0.15
1450/1	0.25
1265/1	0.40
1423	0.20
1424/5	0.50
1603	0.30
1602	0.30
1601/1	0.45
1610	0.05
1608/1	0.15
1609	0.05
1587	0.10
1319	0.35
1307/1	0.10
1305	0.20
1303	0.15
1259	0.01
1304	0.22
1266/2	0.40
1267	0.30
1127	0.15
1457	0.06
1128	0.50
योग 27	6.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत खुरसुनी माइनर क्र. 1 तथा 2 एवं खुरसुल माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 252/अ-82/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-माहूद, प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.98 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
377	0.20
375	0.02
372	0.02
378	0.23
381	0.23
380/1	0.12
380/2	0.02
382	0.23
410	0.20
411	0.08
427	0.20
428/1	0.10
428/2	0.12
82	0.15
428/3	0.10
431/1	0.25
433	0.07
56	0.10
55	0.05
53	0.05
51	0.05
50	0.15
409	0.08
65	0.28
66	0.15
76	0.01
67	0.35
71	0.20
72	0.20
94	0.40
75/1	0.20
75/2	0.18
74	0.30
79	0.01

(1)	(2)
83	0.30
96/2	0.17
104	0.17
81	0.08
95	0.37
96/1	0.05
103	0.12
105	0.15
108	0.15
106	0.12
2/1	0.20
योग 45	6.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 253/अ-82/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदीपाट, प.ह.नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
367/1	0.30
366/3	0.10
287/5	0.20
291/3	0.30
449/13	0.10
287/3	0.20
287/2	0.10
291/2	0.28
291/1	0.10
449/12	0.12
301/2	0.48
43/5	0.20
43/4	0.02
43/12	0.20
43/27	0.10
27/2	0.35
27/1	0.15
48/1	0.30
48/2	0.10
25/1	0.20
458, 459/1	0.40
25/2	0.07
25/3	0.01
22/2	0.10
23	0.15
459/2	0.20
453/2	0.15
453/3	0.15
454	0.10
453/4	0.30
450	0.30
455	0.02
449/1	0.10
449/10	0.10
444	0.10
445	0.13
446/1	0.01
443/1	0.20
443/2	0.22
442/1	0.18
442/2	0.15
439	0.25
440	0.12
504/2	0.25

(1)	(2)
505/2	0.10
505/1	0.12
505/3	0.13
506/4	0.10
506/3	0.10
518/7	0.15
518/1	0.15
518/3	0.15
516/1	0.10
517	0.28
516/2	0.12
516/3	0.12
513	0.15
योग 57	9.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत खुरसुनी माइनर क्र. 1, गब्दी माइनर क्र. 2 एवं मासाभाट डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004.

क्रमांक 254/अ-82/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुल, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.51 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
486/2	0.35
486/1	0.25
488/6	0.25
488/3	0.25
488/5	0.02
488/1	0.63
488/4	0.25
488/2	0.35
489	0.15
638	0.20
507	0.05
688	0.35
1266	0.15
1260	0.15
1242	0.25
933	0.45
928	0.02
949	0.05
508	0.10
509	0.35
536	0.50
513	0.10
512/2	0.10
940/1	0.10
512/1	0.10
514	0.15
537/1	0.13
537/2	0.12
537/3	0.15
544	0.18
545	0.05
550	0.02
546	0.20
547	0.20
941	0.40
945	0.35
548	0.15
596	0.20
597	0.10
637	0.25
636	0.25

(1)	(2)
624	0.20
621	0.02
622	0.13
623	0.02
699	0.25
697	0.10
693	0.20
1306	0.25
1217	0.25
1222	0.25
1218/3	0.30
1223/3	0.35
1223/4	0.45
1223/5	0.25
1224	0.30
1268	0.05
1241	0.20
1265	0.10
1263	0.05
1264	0.10
1255	0.05
275	0.23
276	0.22
1243	0.25
916	0.15
917	0.20
925	0.20
927	0.25
966	0.10
936	0.15
939	0.35
937	0.05
940/2	0.15
948	0.40
954	0.30
955	0.35
958	0.10
959	0.20
968	0.05
969	0.20
268	0.10
273/3	0.35
269/1	0.20
269/3	0.15
257	0.20
256	0.10
255	0.22
योग 88	17.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के मासाभाट एवं खुरसुल माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 255/अ-82/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-गब्दी, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.53 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
215	0.10
199	0.05
200	0.40
203	0.15
214	0.75
213	0.02
266/1	0.15

(1)	(2)
217	0.10
237	0.02
265/1	0.50
218	0.35
236	0.30
1561/1	0.25
219	0.02
235/2	0.30
264/6	0.25
326	0.30
325	0.35
303	0.25
270	0.15
273	0.02
119	0.15
116	0.10
271	0.02
117	0.10
1474	0.02
124	0.15
123	0.10
122/1	0.05
125/4	0.08
125/3	0.15
126	0.02
133	0.02
95	0.25
96	0.15
87	0.15
88	0.13
89	0.05
91	0.02
1107	0.10
1110	0.20
1111	0.10
1112	0.35
1126	0.20
1127	0.20
1128	0.20
1139	0.10
1241	0.20
1254	0.30
1138	0.30
1238	0.20

(1)	(2)
1255	0.30
1239	0.15
1240	0.15
1256	0.30
1415	0.10
1417	0.15
1416	0.20
1418	0.05
1545/1	0.15
1450	0.10
1550	0.10
1552	0.10
1551	0.15
1548	0.20
1549	0.15
1558/1	0.02
1558/2	0.05
1558/4	0.02
1559	0.10
1507	0.05
योग 71	11.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के गव्दी माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक क भू अर्जन/प्र. क्र. 27/अ-82/2001-02—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम-सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-बीजा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.83 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
427	0.12
426	0.15
424	0.07
423	0.05
422/1	0.02
1858/3	0.07
422/2	0.17
1206	0.05
1825	0.13
1205	0.10
1200/1	0.06
1815/1	0.13
1812	0.08
1199/2	0.16
1816	0.17
1199/1	0.09
1954/2	0.12
1197, 1198	0.15
1843	0.21
1614	0.15
1818	0.20
1834	0.32
1826	0.10
1835	0.23
1836	0.34
1944/2	0.06
1955	0.08
1944/1	0.06
752, 749	0.20
1945	0.13
719/1	0.04
1960	0.02
1961	0.01
1956	0.05
1958	0.10
1959	0.07
2095/1	0.17
2030/1	0.41
2041	0.33
2043	0.10
2044	0.03
2053	0.50
2054	0.56
2066	0.21
2065/3	0.32
2083/1	0.12
2083/2	0.04
2095/2	0.17
745/2	0.13
2105	0.08
2104/1 ख	0.22
2104/2 क	0.12
750	0.32
728/2	0.10
720	0.17
747, 751	0.41
2095/3	0.21
2030/5	0.01
2103	0.01

(1)	(2)
741/1	0.16
1827	0.02
739	0.50
2067	0.12
2114	0.07
2115	0.19
742	0.29
740	0.16
746/2	0.10
745/1	0.13
2030/2	0.03
2030/2	0.05
2045	0.01
योग	10.83

बिलासपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

क्रमांक 15 अ 2-2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.955 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
290/1, 292/1	0.028
290/2, 290/3, 292/2	0.028
293, 294, 295, 296, 297	0:089
298, 299, 300	0.085
303, 307/2	0.032
304, 305, 306, 307/1, 308	0.069
320, 309, 311, 312, 313, 314, 319	0.081
315, 316, 317/2	0.065
317/1	0.081
343	0.081
344	0.121
358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2	0.049
358/2, 358/3, 359/2, 359/3, 360/1	0.061
362	0.085
योग 14	0.955

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 19 अ 82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-झाबर,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.995 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
268/2	0.162

(1)	(2)
499/1	0.057
112/1	0.008
15/2, 16/1	0.081
46/2	0.045
113	0.024
511/1	0.121
46/1	0.020
14/2, 15/1	0.061
268/1	0.150
324	0.012
325/2	0.105
510	0.012
29/1, 56/2	0.032
329/3, 333	0.202
43/4	0.105
43/6	0.101
329/4, 334	0.097
45/1	0.150
230, 231	0.012
235/2	0.077
233/2	0.020
236, 237	0.036
47	0.069
84/2	0.024
85/1	0.105
90/2	0.219
43/7	0.040
335	0.121
341	0.146
109/3	0.202
55	0.089
321/3	0.040
321/1	0.049
268/3	0.150
218	0.032
57/1	0.020
338	0.057
339	0.012
509/1	0.069
511/6	0.061
84/3	0.158
219	0.146
220/1	0.049
220/3	0.036
234/3	0.020
235/4	0.024
108/3	0.105
232/2, 232/3	0.154
111	0.008
217	0.032
56/1	0.057
500/1	0.032
501/1	0.012
502/1	0.045
509/2	0.040
511/2	0.028
28, 56/3	0.085
331	0.085
86/1	0.012
269/2	0.138
501/2	0.040
502/2	0.049
112/7	0.089
43/5	0.012
41/1	0.012
15/3, 17/1	0.166
108/4	0.069
42/1	0.016
500/3	0.032
502/3	0.049
योग 71	4.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुजी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविंभागीय अधिकारी, (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 06/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-आमामुड़ा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.423 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337, 341/4	0.376
315/4, 338/1	0.376
338/2, 339	0.348
341/2	0.121
343/2	0.202
योग 6	1.423

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय के वेस्ट वियर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 08/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.041
27	0.028
6/5	0.162
7	0.271
15	1.721
2/3	0.462
30	0.543
2/1	0.231
3/1	0.607
3/3	0.421
4/1	0.020
9/1	0.041
10/1	0.648
11/1	0.446
2/2	0.231
3/2	0.595
3/4	0.421
4/2	0.020
9/2	0.041
11/2	0.446
योग 19	7.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 10/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-पण्डरापथरा, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90/2	0.081
90/3	0.061
93/1	0.024
93/4, 94/1	0.133
94/3	0.073
86/1	0.198
74/2	0.263
86/2	0.057
86/3	0.057
73/1	0.052
73/3	0.218
67/2	0.089
71	0.077
67/1	0.109
62/18, 64/18	0.081
62/21, 64/21	0.101
62/20, 64/20	0.041
62/19, 64/19	0.041
62/22, 64/22	0.041
65/2	0.032.
59	0.174
118	0.080
65/1	0.045
117/2	0.109
117/1	0.077
138	0.020
136	0.045
140/2	0.089
224	0.065
19	0.020
222, 223, 233/2	0.239
221	0.146
218	0.020
19	0.049
222/3	0.020
191	0.073
योग 36	3.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 11/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-बानाबेल, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.056
1/3	0.045
2/2	0.121
2/3	0.041
2/5	0.093
15/3	0.133
1/5	0.045

	(1)	(2)
	1/6	0.049
योग	8	0.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय के लिये नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 140/भू-अर्जन/अ.वि.अ./55-अ/82/सन् 2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारपुरी, प. ह. नं. 126
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	339/1	0.02
	343	0.02
	340	0.02
	344, 363/2	0.03
	366, 377	0.03
	371	0.02
	372	0.02
	373	0.02
	376	0.01
	400/2	0.02
योग	10	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खल्लारी जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 141/भू-अर्जन/अ.वि.अ./36-अ/82/सन् 2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़ियाडीह, प. ह. नं. 126/73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/1	0.11
90	0.05
89	0.08
88	0.06
86	0.03

	(1)	(2)
	85	0.04
	83	0.06
योग	7	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सोरम-सिंघी जलाशय के अंतर्गत माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 190 क/11/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-रिमजी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1985	0.09
2011	0.04
2010	0.17
2009	0.01
2007	0.08
2008	0.07
511	0.10
1831	0.02
1924	0.02
2006	0.03
2330	0.10
1813	0.01
2332	0.05
1812	0.01
2333	0.02
2318	0.02
2328	0.02
2320	0.02
939	0.02
2319	0.06
2327	0.04
505	0.08
833	0.03
1814	0.02
1830	0.01
1885	0.03
1927	0.02
1928	0.02
1938	0.02
2315	0.07
575	0.04
2036	0.07
2046	0.01
2048	0.01
2045	0.07
2047	0.10
1239	0.02
2043	0.05
2052	0.01
1238	0.02
748	0.04
2037	0.01
751	0.06
1941	0.09
576	0.05
1940	0.06
1810	0.02
1835	0.02
1837	0.01
1829	0.02
1620	0.05
1832	0.02

(1)	(2)
1476	0.04
1608	0.05
1833	0.02
922	0.02
1836	0.01
1247	0.02
1811	0.03
923	0.04
1827	0.02
1884	0.02
1925	0.01
1926	0.06
1619	0.01
1834	0.01
1621	0.04
1467	0.03
1468	0.02
1474	0.02
1463	0.01
1473	0.02
1462	0.03
1240	0.02
1246	0.05
1475	0.06
1477	0.03
1248	0.06
1245	0.02
1243	0.01
836	0.04
1241	0.01
1231	0.04
1232	0.01
946	0.04
947	0.02
570	0.06
945	0.03
832	0.01
839	0.01
754	0.06
830	0.01
840	0.02
752	0.04

	(1)	(2)
	749	0.05
	572	0.02
	571	0.04
	556	0.06
	569	0.02
	557	0.02
	558	0.02
योग	101	3.56

शाखा चैन क्रमांक 1.00 से 35.00 तक

(1)	(2)
1783	0.03
2045	0.07
2044	0.02
1945	0.03
1948	0.01
1785	0.02
1949	0.05
1782	0.03
1786	0.01
1787	0.02
1731	0.03
1339	0.08
1730	0.04
1704	0.05
1136	0.02
1317	0.05
1688	0.06
1689	0.02
2039	0.01
1684	0.02
1659	0.01
1660	0.02
1348	0.03
1319	0.04
1320	0.01
1321	0.02
1690	0.02
1172	0.10
1174	0.08
1318	0.05

	(1)	(2)
	1153	0.01
	1156	0.04
	1155	0.02
	1154	0.02
	1146	0.02
	1135	0.02
	1137	0.02
योग	37	1.20
कुल योग		4.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 191 क/9/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-जोगीदादर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	468	0.09
	467	0.12
	466	0.11
	465	0.05
योग	4	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नाथ-नाला व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 192 क/8/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/1	0.06
	8	0.07
	7	0.05
	4	0.05
	6	0.01
	5	0.02
	79	0.02
योग	7	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 193 क/7/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	164	0.13
	166	0.58
	169	0.17
योग	3	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लाथ-नाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य के अंतर्गत डूब मे आयी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 196 क/10/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-भगतसरायपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	349	0.31
योग	1	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लाथ-नाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य अंतर्गत डूब में आयी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 195 क/6/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-चारभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.05

(1)	(2)
2	0.05
5	0.16
7	0.23
29	0.18
55	0.12
4	0.05
6	0.18
8	0.05
28	0.16
56	0.04
60	0.11
9	0.37
119	0.05
10	0.11
58/1	0.24
11	0.27
12	0.16
13	0.22
34/1	0.23
110	0.11
30/1	0.08
111/2	0.01
57	0.19
58/2	0.22
63	0.23
18/1	0.10
59	0.12
30/7	0.07
111/1	0.05
30/3	0.04
111/4	0.02
30/2	0.07
111/3	0.02
30/4	0.04
30/5	0.04
30/6	0.05
30/8	0.04
योग 38	4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लाथ-नाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य अंतर्गत डूब में आयी भूमि. की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली, कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेश पाठक, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6 अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-बसदेयी, प. ह. नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
834	0.08
835/1	0.04
835/4	0.02
योग 3	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बसदेयी जूर मार्ग पर गोबरी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक 10 अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-माहुली, प. ह. नं. 22, भैयाथान, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58+0.28=0.86

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	ग्राम- महुली	
	08	0.06
	496	0.02
	509	0.07
	497	0.11
	499	0.15
	498	0.15
	495	0.02
योग	7	0.58
	ग्राम-भैयाथान	
	811	0.19
	813	0.09
योग	2	0.28
कुल योग		0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेंण सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक 16 अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-लाची, प. ह. नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	113	0.06
	182	0.03
	263	0.02
	689	0.05
	772	0.03
	948	0.03
	949	0.11
योग	7	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लाची जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक 17 अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-परशुरामपुर-67, राजापुर-66, जगन्नाथपुर-66

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	परशुरामपुर-67	
	782/4	0.01
	553/2	0.05
	1679	0.02
	509	0.18
	1413	0.09
	1746	0.02
	541	0.06
योग	7	0.43
	राजापुर-66	
	51	1.12
योग	1	1.12
	जगन्नाथपुर-66	
	577	0.04
	573	0.24
	571	0.05
योग	3	0.33
कुल योग		1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परशुरामपुर जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 जुलाई 2004

क्रमांक भू-अर्जन प्र. क्र. 7/ अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894)) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-उजलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.870 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	35	4.290
	36	3.160
	37	5.760
	50/1	5.041
	50/2	1.619
योग	5	19.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है-औद्योगिक कार्य हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.